2005:CGHC:4796

बंदी की अपील

क्रमांक 1656 नाम— तेजनराम पिता का नाम ननकू राम जाति पनिका, साकिन कलचा थाना लखनपुर, निवासी जिला सरगुजा (म.प्र.) उम्र 60 वर्ष (पुरूष) दण्डादेश आजन्म कारावास, आदेश दिनांक 26/04/1990 अन्तर्गत धारा— 302 भा.द.सं. द्वारा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अम्बिकापुर) म.प्र., पीठासीन न्यायाधीश श्री एस.के मिश्रा, सत्र प्रकरण क्रमांक 210/87

बंदी को यह समझाया गया की यदि वह कहता है या चाहता है कि उसका प्रतिनिधित्व किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा किया जाए तब अपीलीय न्यायालय सात दिनों तक इस आधार पर कार्यवाही नही करेगा, जब तक कि विधिक व्यवसायी उपस्थित न हो, यदि विधिक व्यवसायी सात दिनों के अंतर्गत उपस्थित नही होते है तो उसकी सुनवाई नही की जायेगी। यदि बंदी कहता है कि वह नही चाहता की उसका प्रतिनिधित्व कोई विधिक व्यवसायी करे तब न्यायालय मामले को तुरंत आगे बढ़ा सकती है एवं किसी भी कानूनी व्यवसायी को जो मामले में उपस्थित होना चाहेंगा। सुनवाई का अवसर देने हेतु बाध्य नही होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. निर्णय की प्रतिलिपी हेतु आवेदन का दिनांक 26/04/1990
2. प्रतिलिपी प्राप्त होने का दिनांक 30/04/1990
3. दिनांक जिस पर अपील प्रेषित किया गया 28/05/1990
4. बंदी प्रतिनिधितित्व करना चाहता है या नही— हॉ/नही।

क्रमांक 1656 नाम— तेजनराम आत्मज ननकू पनिका, में सतत् केन्द्रीय जेल— रायपुर (म.प्र.) क्रमांक 602/अष्टकोण 90 दिनांक— 28/05/1990 की ओर अग्रेषितः— माननीय अतिरिक्त पंजीयक महोदय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.)।

विशिष्ट अपीलीय न्यायालय को सौपने के पक्ष हेतु एक संग्रह जो कि प्रकरण में पारित आदेश की प्रतिलिपी है।

संचालक
केन्द्रीय जेल रायपुर (म.प्र.)

अधीक्षक

मु.न्या.म. कार्यालय में पावती का दिनांक ....

साथ ही अभिलेख पावती का दिनांक ....

अपीलीय न्यायालय का अपील ज्ञापन ....

क्रमांक .... दिनांकः ....

की ओर अग्रेषित ....

उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़

दाण्डिक अपील क्रमांक 631/1990

तेजन राम

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन (वर्तमान छ.ग.)

विचारण के लिये निर्णय

सही/–

दिलीप राव साहेब देशमुख

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति फखरूददीन

सही/–

फखरूददीन

न्यायाधीश

सही/–

न्यायाधीश

15/07/2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग.

दाण्डिक अपील क. 631/1990

तेजन राम

विरूद्व

म.प्र.शासन (वर्तमान छ.ग.)

कोरम :— माननीय श्री फखरूद्दीन

माननीय श्री दिलिप रावसाहेब देशमुख,

न्यायमूर्तिगण

अपीलकर्ता द्वारा श्रीमती शर्मिला सिंघई, अधिवक्ता

श्री यू.एन.एस. देव, शासन हेतु शासकीय अधिवक्ता

निर्णय

उद्घोषित दिनांक 18.07.2005

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

द्वारा— दिलिप रावसाहेब, न्यायमूर्ति

1. यह अपील श्री एस.के.मिश्रा, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर (सरगुजा) द्वारा सत्र प्रकरण कमांक 210/1980 में पारित निर्णय दिनांक 26 अप्रैल 1990 के विरूद्व प्रस्तुत है, जिसमें अभियुक्त को धारा 302 भा.द.सं. के तहत दोषसिद्व करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

2- इसमें कोई विवाद नहीं है कि सीमा कुमारी (अ.सा. 05) मृतक हरीहरनाथ पाण्डे की पुत्री है एवं झारखंडे पाण्डे अ.सा. 01 मृतक का पिता है।

3- संक्षेप में अभियोजन की कहानी यह है कि दिनांक 09.04.1980 को रात्री करीबन 8:00 बजे मृतक हरिहरनाथ पाण्डे सोमरसाय अ.सा.—03 के घर से सीमा कुमारी अ.सा.—05 एवं बेटे राजेश के साथ टीवी देखकर लौट रहा था, तभी रास्ते में अचानक सामने से आरोपी आया और हरिहरनाथ पाण्डे के पेट में चाकू घोंप दिया। फिर अपीलकर्ता या अभियुक्त ने चाकू निकाल लिया और भाग गया। हरिहनाथ पाण्डे को बांये हॉथ के अंगुठे में भी चोंट लगे थे।

4- उसी दिन हरिहरनाथ पाण्डे ने घटनास्थल से 16 किलोमीटर दूर लखनपुर पुलिस थाने में राते साढ़े दस बजे एफ.आई.आर. दर्ज कराई। हरिहरनाथ पाण्डे को चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर भेजा गया था जहॉ डॉ. एम.एच. परमार अ.सा.–19 ने जांच करने पर पाया कि हथेली के बांये अंगूठे में एक कटा हुआ घाव जिसका आकार करीबन 1 1/2'' 1/8'' x 1/8'' एवं पेट के दाहिने हाइपो कॉन्डिया पर एक छिन्न घाव जिसका आकर 1/4'' x 1/2'' x पेट की दीवार के अंदरूनी हिस्से में कटा घाव जिसमें रक्त स्त्राव मौजूद डॉ. परमार ने घाव को भरा एवं उपचार किया तथा रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 के अनुसार यह अभिमत दिया कि छिन्न घाव गंभीर प्रकृत्ति का था तथा जीवन के लिये खतरनाक था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5- दिनांक 10.04.1989 को डॉ. बी.पी. चन्द्रा ने हरिहरनाथ पाण्डे का परीक्षण जिला अस्पताल, अम्बिकापुर के पुरूष शल्य चिकित्सा अनुभाग में किया एवं उसे पूर्णतः होश में पाया तथा बयान देने में सक्षम पाया एवं इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 09 के अनुसार प्रातः 2:55 पर दिया। कार्यपालक मजिस्टेट शंकर लाल सोनी (अ.सा.–14) ने डॉ. बी.पी.चन्द्रा की उपस्थिति में हरिहरनाथ पाण्डे का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया। हरिहरनाथ पाण्डे ने अपने बयान प्रदर्श पी–10 में बताया कि घटना के लगभग चार वर्ष पूर्व उसने अपीलकर्ता को पीटा था, क्योंकि अपीलकर्ता ने उसके बेटे को पीटा था और उस समय अपीलकर्ता ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन उसके बाद और घटना से पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ था एवं दिनांक 09.04.1989 के रात्री 8:00 बजे जब वह सोमरसाय के घर से वापस घर आ रहा था, तभी अपीलार्थी अचानक आया और उसने उसके पेट में चाकू घोंप दिया।

6- दिनांक 20.04.1989 को मिशन अस्पताल, अम्बिकापुर में हरिहरनाथ पाण्डे की चोट के कारण मृत्यु हो गयी। दिनांक 21.04.1989 को हरिहरनाथ पाण्डे के

शव का पोस्ट मार्टम डॉक्टर ए.के. जैन द्वारा किया गया था, जिन्होने पाया कि दाहिने पेट के नाभि से 3'' दूरी पर 3/4'' x 1/2'' आकार का एवं सादे नाभि के स्तर से नीचे 1/2'' आकार का घोंपा हुआ है। उनके अभिमत में मौत का कारण सेप्टीसीमिया के परिणामस्वरूप सदमें के कारण हुआ था।

7- दिनांक 12.04.1989 को थाना प्रभारी के एल. मगरैया, पुलिस थाना लखनपुर द्वारा अपीलार्थी के कहने पर एक जोत सिंह नामक व्यक्ति से लोहे का हैंडल वाला एक फोल्डिंग चाकू जिसमें खून जैखा धब्बा लगा था जब्त किया गया, जिसे अपीलकर्ता ने घटना के तुरंत बाद चाकू दे दिया था। उसी दिन प्रदर्श पी–07 के अनुसार अपीलकर्ता से एक सफेद आधी आस्तीन की शर्ट और एक खादी घोती भी जिस पर खून जैसे धब्बे लगे थे जब्त किया गया। पटवारी बैकुण्डनाथ सिंह (अ.सा.–10) के द्वारा प्रदर्श पी–08 के अनुसार नजरी नक्शा तैयार किया गया था उप निरीक्षक यू. एस. मिश्रा द्वारा प्रदर्श पी–13 के अनुसार दिनांक 10.04.1989 को खून के धब्बे वाली मिट्टी एवं साधारण मिट्टी भी जब्त किया गया था उप निरीक्षक यू. एस. मिश्रा के द्वारा प्रदर्श पी–14 के अनुसार अपीलार्थी से एक आधी आस्तीन वाली शर्ट एवं एक सैंडो बनियान जब्त किया गया था, जिनके द्वारा प्रदर्श पी–15 के अनुसार नजरी नक्शा तैयार किया गया था। रासायनिक विश्लेषण के लिये फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजे जाने पर, आरोपी से जब्त आधी आस्तीन वाली शर्ट एवं धोती पर एवं आवेदक की निशानदेही पर जोत सिंह से जब्त चाकू पर भी खून के धब्बों की पुष्टी की गयी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8- अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् आरोपी पर धारा 302 भा.द.सं. के अन्तर्गत अपराध के लिये मुकदमा चलाया गया। श्री बी.बी. सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर द्वारा मामले को सुपुर्द करने पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर द्वारा अपीलकर्ता पर धारा 302 भा.द.सं. के तहत अपराध का मुकदमा चलाया गया। आरोपी ने अपने अपराध से इनकार कर

दिया, धारा 313 द.प्र.सं. के तहत अपनी जांच में झूठा फंसाने का आरोप लगाया है किन्तु बचाव पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 20 गवाहों का परीक्षण किया है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर भरोसा करते हुये विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनाई जैसा कि कंडिका 1 में ऊपर दर्शाया गया है।

9- श्रीमती शर्मिला सिंघई, आरोपी हेतु विद्वान अधिवक्ता ने धारा 302 भा.द.सं. के तहत अपीलकर्ता के दण्ड पर इस आधार पर आपत्ति किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा हत्या के अपराध के लिये अपीलकर्ता के अपराध को प्रमाणित करने हेतु कोई कानूनी सबूत पेश नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सीमा कुमारी (अ.सा.–05) मृतक की पुत्री होने के नाते एक हितबद्व गवाह थी। तथ्य यह है कि डॉक्टर ए.के.जैन ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 07 में यह स्वीकार किया था, कि तत्काल उपचार से हरिहरनाथ की जान बच सकती थी एवं तथ्य यह है कि हरिहरनाथ पाण्डे की मृत्यु 11 दिनों पश्चात् दिनांक 20.04.1989 को मिशन अस्पताल, अम्बिकापुर में हुई थी, इस कारण अपराध यदि कोई था, तो धारा 302 भा.द.सं. के दायरे से बाहर हो गया है। अपीलकर्ता द्वारा हरिहरनाथ पाण्डे की हत्या कारित करने का किसी प्रकार का हेतुक प्रमाणित करने हेतु अभिलेख पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा हरिहरनाथ के पेट में केवल एक ही चोट पहुॅचाने का आरोप लगाया गया था। ए.आई.आर. 1993 सुप्रीम कोर्ट 2636 में प्रकाशित, राजनगम बनाम तमिलनाडु राज्य, ए.आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट 2452 में प्रकाशित सरूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य, द्वारा प्रतिनिधि गृह सचिव, गृहसचिव, ए.आई.आर. 1999 सुप्रीम कोर्ट 998 में प्रकाशित रामाचन्द्रा ओधर बनाम बिहार राज्य, एवं (1982) 1 सुप्रीम कोर्ट 474, में प्रकाशित रामास्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य, के निर्णयों का अवलंब लेते हुये, उन्होने वैकल्पिक तर्क देते हुये कहा कि यदि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलकर्ता द्वारा कोई अपराध किया गया है, तो वह भा.द.सं. की धारा 304 भाग–II से आगे नही जायेगा।

10- वही दूसरी ओर, श्री.यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ताईस राम (अ.सा.–02) के बयान से स्पष्ट रूप से यह स्थापित होता है, कि अपीलकर्ता

घटना के समय हरिहरनाथ पाण्डे पर चाकू से हमला करने की नीयत से घात लगाए बैठा था और उसने हत्या करने के अपेक्षित आशय से हरिहरनाथ पाण्डे के महत्वपूर्ण अंग पर गहरी चोट पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप हरिहरनाथ पाण्डे की चोट लगने से मृत्यु दिनांक 20.04.1989 को हो गई। <u>महेश वाल्मिकी बनाम म.प्र. शासन,</u> 2000 सुप्रीम कोर्ट क्रिमीनल 178 में दर्शित निर्णय पर भरोसा जातते हुये तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने भा.द.सं. की धारा 302 के तहत अपीलार्थी को सही रूप से दोषी ठहराया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. हमने प्रतिद्वंदी की दलीलों पर विचार किया एवं अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों पर भी गहन विचार किया है। जहॉ तक यह प्रश्न है कि क्या हरिहरनाथ पाण्डे की मृत्यु मानववध के रूप में हुई थी, डॉ. एम.एच.परमार (अ.सा.–19) ने साबित किया है कि उसने हरिहरनाथ पाण्डे का परिक्षण दिनांक 09.04.1989 को रात्री 11:00 बजे किया एवं हथेली के बांये अंगुठे पर एक कट्ा हुआ घाव पाया जिसका आकार लगभग 1/2'' x 1/8'' x 1/8'' था एवं पेट के दाहिने हाईपो कॉन्डिया पर छिन्न घाव जिसका आकार लगभग 1/4'' x 1/2'' x पेट की दीवार के अंदरूनी हिस्से में कटा घाव जिसमें रक्त स्त्राव मौजूद है। उनके अभिमत में चोट–धारदार हथियार द्वारा कारित की गयी थी। छिन्न घाव एक गंभीर चोट था। डॉ. ए.के.जैन अ.सा.–20 जिन्होने हरिहरनाथ पाण्डे का शव परीक्षण किया ने बयान दिया है कि उन्होंने पाया दाहिने पेट के नाभिक से 3'' दूरी पर 3/4'' x 1/2'' आकार का एवं सादे

नाभि के स्तर से नीचे 1/2'' आकार का घोंपा हुआ घाव है। उन्होंने अभिमत दिया कि सेप्टीक संकमण ने अस्पताल में उपचार के दौरान जगह ले लिया था।

12. तईस राम (अ.सा.–02) एक चक्षुदर्शी साक्षी है। जिसने घटना देखा है। उसने बताया कि रात्री करीबन 8:00 बजे जब वह सोमरसाय के घर के पास धुम्रपान कर रहा था, उसने आरोपी तेजनराम को छिपा हुआ देखा जिसने खुद को सफेद धोती से ढका हुआ था। उसने अपीलकर्ता की चले जाने को कहा, किन्तु उसने कुछ नही कहा। उसी समय लाईट बंद हो गई। हरिहरनाथ पाण्डे अपनी बेटियों सीमा कुमारी, पुष्पा एवं पप्पू के साथ सोमरसाय के घर से टेलीविजन देखने के बाद निकला एवं अपने घर की ओर चल पड़े, एवं जब वह महुआ पेड़ के पास पहुंचा, तब अपीलार्थी के पेट पर चाकू से हमला किया और भाग गया। हरिहर नाथ पांडे के पेट में काफी चोंट लगी, और उसके अंगुठे में भी एक चोट था। अपीलकर्ता चाकू के साथ भाग गया। यह बयान प्रतिपरीक्षण में पूरी तरह से अखंडित रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. सीमा कुमारी अ.सा.–05 ने भी तईस राम के बयान की पूरी तरह पुष्टि है एवं कि उसने यह भी कहा कि जैसे ही उसके पिता हरिहरनाथ पाण्डे सोमरसाय के घर से उसके घर की ओर बढ़े, अपीलकर्ता तेजन राम आया और अपीलकर्ता के पेट पर चाकू से हमला कर दिया और उसके पश्चात् वह चाकू निकाल कर भाग गया। यहॉ तक कि यह बयान भी पूरी तरह से अखंडित है। सुभाग्राम (अ.सा.–06) जो गवाह है जिसने यह बयान दिया है कि सोमरसाय अपने घर से रात्री करीबन 8:00–9:00 बजे आया और उससे कहा कि तेजन राम ने हरिहरनाथ पाण्डे पर चाकू द्वारा हमला कर दिया है। इसके पश्चात् वह घटनास्थल, पर गया और घायल हरिहरनाथ को देखा, जिसके पेट से काफी खून बह रहा था।

14. जोत सिंह (अ.सा. 07) ने बयान दिया है कि रात्री में करीबन 10.00 बजे तेजनराम उसके घर आया और उसने एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति में यह बात की है कि उसने हरिनाथ पर चाकू से हमला किया था और वह उसके घर में सोना चाहता था और उसने चाकू उसे सौप दिया, जिसमें खून जैसा दाग लगा था। तेजनराम उसके पश्चात अपने घर चला गया। यह चाकू प्रदर्श पी.05 के अनुसार जोत सिंह से जब्ती हुआ था। इस गवाह से प्रतिपरीक्षण में कोई प्रश्न नही किया गया रामनारायण (अ.सा.09) ने भी प्रदर्श पी. 07 के अनुसार जोत सिंह से एक चाकू की जब्ती को प्रमाणित किया है। सरिफ खान (अ.सा. 16) ने भी अपीलार्थी तेजनराम से एक आधी आस्तीन सफेद शर्ट एवं एक खादी की धोती की जब्ती को प्रमाणित किया है। इन गवाहों से की गयी प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी सामने नही आया जिससे उन्हें विश्वसनीयता के अयोग्य ठहराया जा सकें। हम इन गवाहों के बयान को पूरी तरह विश्वसनीय पाते है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. कार्यपालक मजिस्ट्रेट शंकरलाल सोनी (अ.सा. 14) ने यह प्रमाणित किया है कि उसने दिनांक 10/04/1989 को जिला अस्पताल, अम्बिकापुर में हरिहर नाथ पाण्डे का मृत्यु पूर्व कथन दर्ज किया, जिसमें हरिहरनाथ पाण्डे ने कथन किया है कि पुराने झगड़े के कारण अपीलार्थी तेजनराम ने उसे मारने की धमकी दी थी एवं दिनांक 09/04/1989 को रात्री करीबन 8.00 बजे कल्छा गॉव में जब वह सोमरसाय के घर से टेलीविजन देखने के पश्चात लौट रहा था, तभी अपीलार्थी आया और पेट में उसने हमला कर दिया और भाग गया। डॉ. बी.पी. चन्द्रा अ.सा. –11 ने यह प्रमाणित किया है कि हरिहरनाथ पाण्डे पूरी तरह होश में था एवं मृत्यु पूर्व बयान (प्रदर्श पी.10) देने की स्थिति में था, जो उसकी उपस्थिति में दिया गया था। अपीलार्थी के कपड़ो पर खून जैसे दाग की उपस्थिति एवं जोत सिंह से जब्त हुई चाकू से भी यह अपीलकर्ता की संलिप्तता को सभी संदेहों से परे प्रमाणित करता है।

16. उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान पूरी तरह विश्वसनीय है एवं यह प्रमाणित करती है कि हरिहरनाथ पाण्डे की मृत्यु एक मानववध है जो दिनांक 09/04/1989 के रात्री को अपीलार्थी तेजन राम द्वारा चाकू से गहरी चोट पहुँचाने के कारण हुआ था। इस प्रकार हमारे विचारित अभिमत में, अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे यह प्रमाणित कर दिया है कि अपीलार्थी ने हरिहरनाथ पाण्डे पर चाकू से हमला किया था एवं यह कि उसकी मृत्यु हमले द्वारा लगी चोट का परिणाम है। हालाँकि, अभिलेख पर ऐसा कोई चिकित्सीय साक्ष्य नही है जो यह दर्शाये कि हरिहर नाथ को लगी चोट प्रकृति के सामान्य अनुकम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। डॉ. ऐ.के.जैन ने कंडिका –06 में यह बयान दिया है कि मरीज की मृत्यु सेप्टीसीमिया की जटीलताओं के कारण हुई है। यदि उचित उपचार मिलता तो हरिहरनाथ की जान बच सकती थी। हरिहर नाथ पाण्डे द्वारा अपने मृत्यु पूर्व कथन (प्रदर्श पी.10) में वर्णित विवाद ऐसा नही था जिससे अपीलकर्ता तेजनराम को हरिहरनाथ पाण्डे की मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रेरित किया जा सकें, वह भी चार वर्ष की अवधि के पश्चात। इसके अलावा, आरोपी ने हरिहरनाथ पाण्डे के पेट में केवल एक ही चोट पहुँचाई थी। अपीलार्थी व मृतक के बीच कोई अचानक झगड़ा नही हुआ था एवं अपीलार्थी ने हरिहरनाथ पाण्डे के पेट पर चाकू से एक बार ही हमला किया था। कोई अन्य चोट मृतक को अपीलार्थी के कारण नही आयी थी। खून के धब्बे लगे चाकू को सौपने अपीलार्थी स्वयं जोत सिंह के पास गया और न्यायेतर स्वीकारोक्ति की।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. जहाँ तक शासकीय अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिए गए महेश बाल्मीकि बनाम म. प्र. शासन के प्रकरण का संबंध है, उस मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ अलग है क्योकि उस प्रकरण में अपीलकर्ता ने 6वीं और 7वीं पसलियों के तटीय जोड़ के बीच सीने पर बाई ओर चाकू से एक ही बार किया था, जिससे दोनो पसलियाँ टूट गई। चोट का निशान पसलियों से होते हुए उरोस्थि, पेरीकार्डियम, अग्र और पश्च भाग से होकर गुजरता है एवं उसके

पश्चात यकृत में प्रवेश कर आमाशय के एक हिस्से को छेद कर देता है। इसलिए यह माना गया कि भा.द.सं. की धारा 300 के अपवाद–4 की आवश्यकताऐं पूरी नही हुयी। हालांकि इस मामले में एकमात्र चोट पेट पर चाकू लगने के कारण आयी थी। चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, यदि उचित उपचार दिया जाता तो हरिहरनाथ की जान बच गयी होती। हरिहरनाथ की मृत्यु सेप्टीसिमिया के कारण एवं अस्पताल में इलाज के दौरान संक्रमण के परिणामस्वरूप हुयी थी। राजनगम बनाम शासन (तमिलनाडु), ए.आई.आर. 1993 सुप्रीम कोर्ट 2636 के प्रकरण में, आरोपी ने मृतक के पेट पर चाकू से वार कर एक चोट ही पहुॅचाया था। मृतक का ऑपरेशन हुआ था और 8 दिनों पश्चात उसकी मृत्यु हुयी थी। यह माना गया कि अभियुक्त को यह ज्ञान तो था कि वह मृत्यु का कारण बन सकता है, परंतु उसकी मृत्यु का कारण बनने की मंशा नही थी। इसलिए यह माना गया कि यह अपराध भा.द.सं. की धारा 304 भाग–।। के अंतर्गत आयेगा। इस मामले में भी हरिहरनाथ की जटिलताओं के परिणाम स्परूप सेप्टीसीमिया के कारण जिला अस्पताल में 11 दिनों के पश्चात मृत्यु हो गयी थी। हरिहरनाथ पर कोई शल्यक्रिया नही की गयी थी। चिकित्सा के अभिमत में भी यदि उचित चिकित्सा सहायता दी गई होती, तो उसकी जान बच सकती थी। इसलिए हमारा यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध भा.द.सं. की धारा 304 भाग–।। से आगे नही जाता।

18. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अभियुक्त की दोषसिद्धि को भा.द.सं. की धारा 304 भाग–।। में परिवर्तित किया जाता है। हम इसलिये, सजा को घटाकर 10 वर्ष का सश्रम कारावास करते है। तथापि श्री यू.एन.एस.देव शासकीय अधिवक्ता ने सूचित किया है कि अभियुक्त पहले

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ही सजा काट चुका है और उसे दिनांक 15/08/2003 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर छूट मिलने पर जेल से रिहा कर दिया गया है।

सही/–
फकरूद्दीन
न्यायाधीश

सही/–
दिलिप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नही किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगका और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Shri Prahlad Panda (Advocate)